भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/66/2018/एफ.सी. 1454 — दिनॉकः 08.10.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/ROAD/30569/2017

विषय : जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 07 (वाराणसी–हनुमान सेक्शन) किमी0 सं0 49.500 से किमी0 सं0 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों (संशोधित उपरांत 16012 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक–09.11.2017 की कार्रवाई (प्रति संलग्न) एवं मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–621/11–सी–_FP/UP/ROAD/30569/2017, लखनऊ, दिनांक–19.09.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–P/14–2–2018–800(124)/2018, दिनांक–25.07.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनांक–04.10.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 33.3-UP) शामिल किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः केन्द्र सरकार जनपद–मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 07 (वाराणसी–हनुमान सेक्शन) किमी0 सं0 49.500 से किमी0 सं0 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक (4041 वृक्षों एवं 12062 पौधों) अर्थात् 16012 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (131.0175 x 2 = 262.035 ha.) अर्थात् 263 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए।
   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी ।
4. सड़क निर्माण के दौरान वन्य प्राणियों के नियमित आवागमन हेतु चिन्हित एवं उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संरचना का निर्माण वन विभाग की देख रेख में परियोजना व्यय पर किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।

7. मार्ग पर कल्मर्ट/पुल–पुलिया का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि प्राकृतिक नाले, नदियॉ/नहर आदि के जल–बहाव अवरूद्ध न हो तथा इनसे जल–जमाव की स्थिति न बने।

8. भूक्षरण एवं जल–जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

9. प्रस्ताव में उल्लिखित 377 वृक्षों एवं 850 पौधों का प्रत्यारोपण (Transaction) परियोजना व्यय पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि पर वन विभाग की देख–रेख में किया जाएगा। प्रत्यारोपण उपरांत वनरोपण एवं स्थल का पूर्ण विवरण, **GPS Coordinates** एवं **kml file** छः माह के अंदर इस कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी

11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13. कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक– 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

14. राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 पर पूर्व में स्थित पेट्रोल पम्पों को अभिगम (Access) की अनुमति यथावत मान्य होगी।

15. निर्माण कार्य में आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003
2. अति0 वन महानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003.
3. मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
5. प्रबंधक तकनीकी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, वाराणसी।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

08.10.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}